

प्रारंभिक परीक्षा

गरुड़ हाई रेजोल्यूशन दूरबीन (GARUD HIGH RESOLUTION BINOCULARS)

संदर्भ

इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL), जो एक मिनी रत्न श्रेणी-I रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ने नागरिक बाजार के लिए स्वदेशी गरुड़ हाई रेजोल्यूशन दूरबीन लॉन्च की है।

गरुड़ हाई रेजोल्यूशन दूरबीन के बारे में

- **प्रकृति:** गरुड़ नागरिक अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित एक स्वदेशी रक्षा-ग्रेड हाई-रेजोल्यूशन (उच्च-रिज़ॉल्यूशन) दूरबीन मंच है, जो भारतीय सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल उपकरणों पर आधारित है।
- **निर्माता:** इसका निर्माण रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तहत इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL) की एक इकाई, आयुध निर्माणी (Ordnance Factory), देहरादून द्वारा किया गया है।
- **उद्देश्य:** आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की स्वदेशी रक्षा ऑप्टिकल क्षमताओं का व्यवसायीकरण करना और उच्च-सटीक (हाई-प्रिसिजन) ऑप्टिकल उपकरणों को नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बनाना।

गज गौरव पुरस्कार 2026

संदर्भ

एशियाई हाथी संरक्षण और प्रबंधन में अग्रणी योगदान को मान्यता देने के लिए विशाखापत्तनम में विश्व हाथी दिवस 2026 के राष्ट्रीय उत्सव के दौरान गज गौरव पुरस्कार 2026 प्रदान किए गए।

गज गौरव पुरस्कार के बारे में

- **प्रकृति:** गज गौरव पुरस्कार एशियाई हाथियों के संरक्षण और प्रबंधन में अनुकरणीय क्षेत्रीय (फील्ड) सेवा और अग्रणी (फ्रंटलाइन) योगदान को मान्यता देने वाला एक राष्ट्रीय सम्मान है।
- **स्थापना:** यह पुरस्कार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा 1992 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलीफेंट (हाथी परियोजना) के 30 साल के जश्न के हिस्से के रूप में 2022 में स्थापित किया गया था।
- **उद्देश्य:** मानव-हाथी संघर्ष को कम करने, हाथी गलियारों (कॉरिडोर) की रक्षा करने और जंगली तथा बंदी (कैप्टिव) हाथियों के संरक्षण के लिए काम करने वाले वन कर्मचारियों, महावतों, ट्रैकर्स, स्थानीय समुदायों, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (JFMC) और क्षेत्र संरक्षणवादियों को मान्यता देना और उन्हें प्रेरित करना।

छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR)

संदर्भ

परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत, भारत सरकार की 2047 तक 100 GWe परमाणु क्षमता तक पहुंचने के अपने लक्ष्य के हिस्से के रूप में 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) विकसित और संचालित करने की योजना है।

छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) के बारे में

- **परिभाषा:** छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) पारंपरिक गीगावाट-स्केल संयंत्रों की तुलना में कम विद्युत उत्पादन वाले उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं; IAEA आम तौर पर SMR को प्रति यूनिट 300 MWe तक की क्षमता वाले रिएक्टर के रूप में परिभाषित करता है।
- **भारतीय विकासकर्ता:** परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तहत भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) स्वदेशी SMR डिजाइन विकसित कर रहा है।
- **विधायी ढांचा:** उनका विकास और तैनाती शांति (SHANTI) अधिनियम, 2025 द्वारा सक्षम है, जो परमाणु प्रौद्योगिकी विनिर्माण और तैनाती में अधिक निजी क्षेत्र की भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है।
- **उद्देश्य:** बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में प्रारंभिक पूंजी आवश्यकताओं, निर्माण के समय और भूमि की आवश्यकताओं को कम करते हुए स्वच्छ, कम-कार्बन वाली बेसलोड बिजली और औद्योगिक ऊष्मा प्रदान करना।
- **प्रमुख विशेषताएं और महत्व:** प्राकृतिक आपातकालीन कोर कूलिंग (शीतलन) के माध्यम से निष्क्रिय सुरक्षा (पैसिव सेफ्टी), मांग के साथ उत्तरोत्तर मॉड्यूल जोड़कर स्केलेबल तैनाती, निर्माण में देरी, वित्तपोषण लागत और साइट-स्तरीय इंजीनियरिंग जोखिमों को कम करने वाला कारखाना-आधारित उत्पादन, तथा भारत की ऊर्जा सुरक्षा और डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को मजबूत करने के लिए कम-कार्बन वाली परमाणु ऊर्जा के विस्तार हेतु एक लचीला मार्ग।

संयुक्त संसदीय समिति (JPC)

संदर्भ

विपक्षी दलों और नागरिक समाज समूहों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद लोकसभा ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया है।

संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के बारे में

- **प्रकृति:** संयुक्त संसदीय समिति (JPC) एक तदर्थ (एडहॉक) संसदीय समिति है जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा किसी विशिष्ट विधेयक, विधायी प्रस्ताव, या प्रमुख वित्तीय/शासन संबंधी मुद्दे की विस्तृत जांच करने के लिए गठित किया जाता है।
- **संवैधानिक स्थिति:** संविधान में JPC का स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं है; इसका गठन संसद की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के तहत किया जाता है।
- **गठन:** JPC तब बनाई जाती है जब एक सदन द्वारा पारित प्रस्ताव पर दूसरे सदन द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है।

- **द्विसदनीय प्रतिनिधित्व:** इसके सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों से लिए जाते हैं।
- **सदस्यता अनुपात:** यह समिति आम तौर पर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बीच 2:1 का अनुपात बनाए रखती है।
- **अध्यक्ष:** लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं।
- **सिफारिशें:** यह संसद को सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है; सदस्य असहमति के नोट (Notes of Dissent) भी संलग्न कर सकते हैं।
- **विघटन:** JPC एक तदर्थ (एडहॉक) निकाय है और संसद को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भंग हो जाती है।

नदी बोर्ड (RIVER BOARD)

संदर्भ

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के अध्यक्ष ने हाल ही में संपूर्ण कावेरी बेसिन में जलाशयों के स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन और विनियमन के लिए एक एकीकृत नदी बोर्ड का प्रस्ताव रखा है।

नदी बोर्ड के बारे में

- **प्रकृति:** नदी बोर्ड एक वैधानिक या प्रशासनिक निकाय है जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी और हितधारक शामिल होते हैं, जो एक अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी को एकीकृत हाइड्रोलॉजिकल (जल विज्ञान) इकाई के रूप में विनियमित और विकसित करते हैं।
- **संवैधानिक आधार:** संघ सूची की प्रविष्टि 56 संसद को जनहित में अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को विनियमित और विकसित करने का अधिकार देती है, जबकि राज्य सूची की प्रविष्टि 17 जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरों और जल भंडारण को मुख्य रूप से राज्य के अधिकार क्षेत्र में रखती है; अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन (adjudication) का प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।
- **कानूनी आधार:** प्रविष्टि 56 के तहत अधिनियमित नदी बोर्ड अधिनियम, 1956, केंद्र सरकार को राज्यों के अनुरोध पर या स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए नदी बोर्ड स्थापित करने में सक्षम बनाता है, ताकि राज्यों को अंतर-राज्यीय नदियों के नियमन और विकास पर सलाह दी जा सके।

भारत में नदी बोर्ड

- **इतिहास:** नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 को राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की अवधि के दौरान, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के साथ अधिनियमित किया गया था।
- **कार्यान्वयन अंतराल:** दशकों तक कानून की किताब में रहने के बावजूद, 1956 के अधिनियम के तहत कोई भी नदी बोर्ड औपचारिक रूप से स्थापित नहीं किया गया है, जिसका मुख्य कारण राज्यों के बीच अपने जल संसाधनों पर नियंत्रण खोने की चिंता है।

- **वैकल्पिक तंत्र:** इसके स्थान पर, विशिष्ट संसदीय कानूनों, कार्यकारी निर्णयों, पुनर्गठन कानून और न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के निर्णयों (अवार्ड) के माध्यम से विभिन्न नदी प्रबंधन संस्थान बनाए गए हैं।

वॉयजर 2 मिशन (VOYAGER 2 MISSION)

संदर्भ

नासा ने वॉयजर 2 में "बिग बैंग" पावर-सेविंग अपग्रेड (बिजली-बचत उन्नयन) किया है, जिससे इसके प्रक्षेपण के लगभग पांच दशक बाद इसके वैज्ञानिक संचालन को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

वॉयजर 2 मिशन के बारे में

- **प्रकृति:** वॉयजर 2 नासा का एक मानवरहित डीप-स्पेस (गहरे-अंतरिक्ष) प्रोब है जिसे 1977 में बाहरी ग्रहों का अध्ययन करने और बाद में अपने अंतरतारकीय (इंटरस्टेलर) मिशन को जारी रखने के लिए लॉन्च किया गया था।
- **प्रक्षेपण (लॉन्च):** इसे 20 अगस्त 1977 को अमेरिका के केप कैनावेरल से टाइटन III-E-सेंटौर लॉन्च वाहन पर लॉन्च किया गया था।
- **प्राथमिक मिशन:** इसके ग्रहीय मिशन ने बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के साथ-साथ उनके चंद्रमाओं को कवर किया।
- **अंतरतारकीय अंतरिक्ष (Interstellar Space):** वॉयजर 2 ने नवंबर 2018 में अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश किया, और वॉयजर 1 के बाद ऐसा करने वाला दूसरा मानव निर्मित अंतरिक्ष यान बन गया।

प्रमुख उपलब्धियां

- **बृहस्पति:** एक नए जोवियन चंद्रमा की खोज की और बृहस्पति, इसके वायुमंडल, छल्लों और चंद्रमाओं का विस्तृत अवलोकन प्रदान किया।
- **शनि:** शनि के करीब से उड़ान भरी (फ्लाइबाई), जिससे इसके छल्लों और चंद्रमाओं का विस्तृत अवलोकन मिला।
- **यूरेनस:** यूरेनस के पास से उड़ान भरने वाला पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान बना, जिसने 10 नए चंद्रमाओं और दो नए छल्लों की खोज की।
- **नेपच्यून:** नेपच्यून के पास से उड़ान भरने वाला पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान बना, जिसने छह नए चंद्रमाओं और चार नए छल्लों की खोज की, और ग्रेट डार्क स्पॉट (Great Dark Spot) को देखा।
- **अद्वितीय उपलब्धि:** यह एकमात्र अंतरिक्ष यान है जिसने सभी चार विशाल ग्रहों—बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून—का करीब से अध्ययन किया है।

पीएम विश्वकर्मा योजना

संदर्भ

भारत सरकार ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के 100 पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को दिल्ली के लाल किले में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है।

पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में

- **प्रकृति:** पीएम विश्वकर्मा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक समर्थन प्रदान करने के लिए 2023 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है।
- **नोडल मंत्रालय:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)।
- **उद्देश्य:** कारीगरों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, पारंपरिक शिल्पकला को मजबूत करना और कौशल विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी और बाजार समर्थन के माध्यम से स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना।
- **कवरेज (दायरा):** यह भारत भर में 18 चिन्हित पारंपरिक व्यवसायों (ट्रेडों) में लगे ग्रामीण और शहरी कारीगरों और शिल्पकारों को कवर करता है।

पात्रता

- **आयु और व्यवसाय:** आवेदकों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वे निर्दिष्ट पारंपरिक व्यवसायों (ट्रेडों) में से किसी एक में लगे होने चाहिए।
- **ऋण शर्त:** लाभार्थियों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान इसी तरह के ऋण का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।

प्रमुख विशेषताएँ

- **मान्यता:** पात्र कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और पहचान पत्र (ID Card) प्राप्त होता है।
- **कौशल विकास:** ₹500 प्रति दिन के वजीफे (stipend) के साथ 5-7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- **टूलकिट समर्थन:** बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में ई-वाउचर के माध्यम से ₹15,000 तक का टूलकिट प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- **क्रेडिट (ऋण) सहायता:** 5% की रियायती ब्याज दर पर ₹1 लाख और ₹2 लाख की दो किश्तों में ₹3 लाख तक का संपार्श्विक-मुक्त (collateral-free) उद्यम विकास ऋण (Enterprise Development Loan) प्रदान करता है।

समाचार में स्थान

डेन्यूब नदी(DANUBE RIVER)

संदर्भ

गंभीर सूखे के कारण डेन्यूब नदी का जल स्तर ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ जाने के बाद, रोमानिया ने हाल ही में 30-दिवसीय ऊर्जा अलर्ट घोषित किया है, जिससे चेरनावोडा (Cernavodă) परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 1 को बंद करना पड़ा, जो रोमानिया की लगभग 10% बिजली की आपूर्ति करता है।

डेन्यूब नदी के बारे में

- **प्रकृति:** डेन्यूब वोल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और आम तौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली एकमात्र प्रमुख यूरोपीय नदी है।
- **उद्गम और मुहाना:** यह पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ों में ब्रेग और ब्रिगच (Breg and Brigach) धाराओं से निकलती है और रोमानिया तथा यूक्रेन में डेन्यूब डेल्टा के माध्यम से काला सागर में गिरती है।
- **देश:** यह 10 देशों—जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा और यूक्रेन—से होकर बहती है या उनकी सीमाएँ बनाती है।
- **सहायक नदियाँ:** प्रमुख सहायक नदियों में इन (Inn), द्रावा (Drava), टिज़ा (Tisza), सावा (Sava), मोरावा (Morava) और ओल्ट (Olt) नदियाँ शामिल हैं।
- **प्रमुख शहर:** डेन्यूब के किनारे महत्वपूर्ण शहरों में वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बुखारेस्ट, रेगेन्सबर्ग, पासाऊ (Passau) और लिंज़ शामिल हैं।
- **प्रमुख बंदरगाह:** महत्वपूर्ण नदी बंदरगाहों में रेगेन्सबर्ग, वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, रूसे (Ruse), ब्रेला (Brăila), गैलाटी (Galați) और इश्माईल (Izmayil) शामिल हैं।
- **डेन्यूब डेल्टा:** यह नदी डेन्यूब डेल्टा बनाती है, जो रोमानिया और यूक्रेन में एक प्रमुख आर्द्रभूमि (wetland) पारिस्थितिकी तंत्र है और एक यूनेस्को (UNESCO) विश्व धरोहर स्थल है।



पीटरमैन ग्लेशियर(PETERMANN GLACIER)

संदर्भ

उत्तर-पश्चिमी ग्रीनलैंड में पीटरमैन ग्लेशियर ने हाल ही में 76.4 वर्ग किमी के एक हिम-द्वीप (ice island) को अलग (calve) कर दिया है, जो इसके तैरते बर्फ का सबसे बड़ा नुकसान है और 2020 के बाद से सबसे बड़ी आर्कटिक काल्विंग (बर्फ टूटने की) घटना है।

पीटरमैन ग्लेशियर के बारे में

- **अवस्थिति:** पीटरमैन ग्लेशियर उत्तर-पश्चिमी ग्रीनलैंड में स्थित है, जो ग्रीनलैंड और कनाडा के एलेस्मेरे द्वीप (Ellesmere Island) को अलग करने वाले संकीर्ण समुद्री मार्ग नेर्स स्ट्रेट (Nares Strait) के पूर्व में है।
- **महत्व:** यह ग्रीनलैंड आइस शीट को आर्कटिक महासागर से जोड़ने वाले प्रमुख ग्लेशियरों में से एक है।
- **काल्विंग (बर्फ का टूटना):** समुद्र में बर्फ छोड़ने वाले अन्य ग्लेशियरों की तरह, पीटरमैन भी समय-समय पर बड़े हिमखंडों और हिम-द्वीपों को तोड़कर अलग करता है; हाल के वर्षों में इसके बर्फ के प्रवाह (ice flow) में भी तेजी आई है।
- **जलवायु संबंध:** ग्रीनलैंड के भूमि-आधारित ग्लेशियर वैश्विक समुद्र-स्तर में वृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं, और निरंतर तापमान वृद्धि से महासागरों में बर्फ के नुकसान के बढ़ने की उम्मीद है।
- **समुद्र-स्तर पर प्रभाव:** वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पीटरमैन ग्लेशियर के पूर्ण पतन से वैश्विक समुद्र-स्तर में लगभग 30 सेमी की वृद्धि हो सकती है।



केन्या

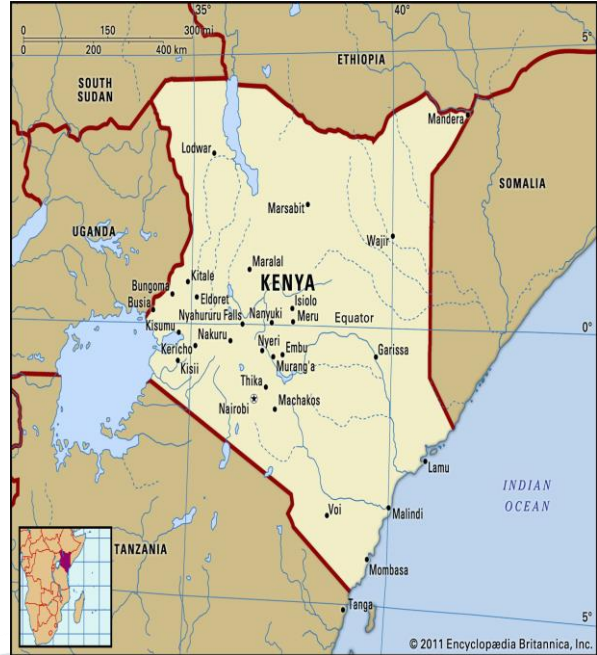
संदर्भ

भारत ने हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) को स्वदेशी समुदाय के रूप में मान्यता देने के केन्या के फैसले का स्वागत किया है।

केन्या के बारे में

- **अवस्थिति:** केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित है और दक्षिण-पूर्व में हिंद महासागर के साथ इसकी तटरेखा है।
- **भूमि सीमाएँ:** यह सोमालिया (उत्तर-पूर्व), इथियोपिया (उत्तर), दक्षिण सूडान (उत्तर-पश्चिम), युगांडा (पश्चिम) और तंजानिया (दक्षिण) के साथ सीमाएँ साझा करता है।

- **राजधानी:** नैरोबी, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और UN-HABITAT के मुख्यालय की मेजबानी करता है।
- **प्रमुख झीलें:** विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा और तंजानिया द्वारा साझा की जाती है, जबकि तुर्काना (Turkana) झील उत्तरी केन्या में स्थित है।
- **प्रमुख नदियाँ:** महत्वपूर्ण नदियों में केन्या की सबसे लंबी नदी ताना (Tana) के साथ-साथ अथि/गलाना (Athi/Galana) और मारा (Mara) शामिल हैं।
- **पहाड़ (पर्वत):** प्रमुख उच्चभूमि (highland) विशेषताओं में एबरडेयर रेंज और माउ एस्कार्पमेंट (Mau Escarpment) शामिल हैं; माउंट केन्या देश की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट किलिमंजारो के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।
- **द्वीप:** लामू (Lamu) द्वीप हिंद महासागर में लामू द्वीपसमूह का हिस्सा है।
- **प्राकृतिक संसाधन:** प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधनों में सीसा, जिरकोन, लोहा, टाइटेनियम, अभ्रक (mica), तेल, कोयला, डायटोमाइट और जिप्सम शामिल हैं।
- **जनजातीय समुदाय:** प्रमुख समुदायों में अन्य के अलावा सांबुरु और मसाई शामिल हैं।



मुख्य परीक्षा

भारत में न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल)

संदर्भ

हाल ही में, संसद ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पारित किया है, जो 16 प्रमुख न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल्स) की नियुक्तियों, प्रशासन और कामकाज की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC) का प्रस्ताव करता है।

न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 एक प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC) के माध्यम से भारत में न्यायाधिकरणों के प्रशासन, नियुक्ति, निगरानी और कामकाज के लिए एक एकीकृत संस्थागत ढांचा स्थापित करने का प्रयास करता है।

न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधान

1. राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC)

- **स्थापना और कार्य:** यह विधेयक न्यायाधिकरणों के प्रशासन और निगरानी के लिए जिम्मेदार केंद्रीय निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का प्रस्ताव करता है। इसके कार्यों में न्यायाधिकरण की रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित करना, न्यायाधिकरण के प्रदर्शन की समीक्षा करना, अध्यक्षों और सदस्यों के खिलाफ शिकायतों की जांच की निगरानी करना, तथा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड का विकास और रखरखाव करना शामिल है।
- **संरचना:** आयोग में एक अध्यक्ष, दो न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य शामिल होंगे। अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, जबकि न्यायिक सदस्यों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए। तकनीकी सदस्यों के पास लोक प्रशासन, वित्त, कानून, लेखा, बैंकिंग, प्रबंधन या प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- **नियुक्ति:** आयोग के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के साथ परामर्श की आवश्यकता होगी।
- **कार्यकाल:** अध्यक्ष और सदस्य पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, काम करेंगे।
- **सचिवालय:** प्रशासनिक और संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए आयोग के पास केंद्र सरकार के सचिव के नेतृत्व में एक समर्पित सचिवालय होगा।

2. न्यायाधिकरणों के लिए चयन प्रक्रिया

- **खोज-सह-चयन समिति:** NTC न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों की सिफारिश करने के लिए एक खोज-सह-चयन समिति का गठन करेगा। NTC के अध्यक्ष किसी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के चयन के लिए समिति का नेतृत्व करेंगे, जबकि अन्य सदस्यों के चयन के लिए एक न्यायिक सदस्य इसका नेतृत्व करेगा। प्रत्येक रिक्ति के लिए, समिति एक उम्मीदवार और प्रतीक्षा सूची के लिए एक अतिरिक्त नाम की सिफारिश करेगी। केंद्र सरकार को सिफारिश प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर नियुक्ति करनी होगी।

- **चयन समिति की संरचना:** समिति में रिक्ति के आधार पर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश; NTC के एक तकनीकी सदस्य; केंद्र सरकार के एक सचिव; दो विशेषज्ञ सदस्य; और आयोग के सचिव शामिल होंगे।
- **मतदान का अधिकार:** दो विशेषज्ञ सदस्यों और आयोग के सचिव को मतदान का अधिकार नहीं होगा। टाई (बराबर मत) होने की स्थिति में समिति के अध्यक्ष के पास निर्णायक मत (casting vote) होगा।

3. न्यायाधिकरण के सदस्यों की सेवा की शर्तें

- **कार्यकाल:** न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे। अन्य सदस्यों का कार्यकाल भी समान रूप से पांच वर्ष का होगा, लेकिन उनकी अधिकतम आयु सीमा 67 वर्ष होगी।
- **पुनर्नियुक्ति:** अध्यक्षों और सदस्यों को उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। सदस्यों के लिए, पुनर्नियुक्ति हेतु संबंधित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के साथ परामर्श की भी आवश्यकता होगी।
- **हटाने के आधार:** केंद्र सरकार NTC या किसी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को दिवालियापन, नैतिक अधमता (moral turpitude) से जुड़े अपराध के लिए सजा, शारीरिक या मानसिक अक्षमता, पद के दुरुपयोग, या ऐसे हितों के अधिग्रहण जो उनके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे आधारों पर हटा सकती है। न्यायाधिकरण के सदस्यों को अक्षमता, अकुशलता या सशुल्क कार्यभार (paid assignments) ग्रहण करने के लिए अतिरिक्त रूप से हटाया जा सकता है।
- **सेवा शर्तें:** केंद्र सरकार नियमों के माध्यम से न्यायाधिकरण के सदस्यों की योग्यता, चयन प्रक्रिया, वेतन और भत्ते, इस्तीफा, हटाए जाने और अन्य सेवा शर्तें निर्धारित करेगी।
- **समान प्रयोज्यता:** यह विधेयक पहली अनुसूची में सूचीबद्ध 16 प्रमुख न्यायाधिकरणों में चयन, कार्यकाल और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियम स्थापित करना चाहता है। इनमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT), राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) शामिल हैं।

मौजूदा अदालतों के बावजूद न्यायाधिकरण क्यों बनाए गए?

- **विशेषज्ञतापूर्ण न्यायनिर्णयन:** न्यायाधिकरणों को उन विवादों के लिए डिज़ाइन किया गया था जहां तकनीकी, आर्थिक या क्षेत्र-विशिष्ट विशेषज्ञता पारंपरिक न्यायिक न्यायनिर्णयन की पूरक हो सकती थी।
 - उदाहरण - राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) पर्यावरण विशेषज्ञता के साथ न्यायिक न्यायनिर्णयन को जोड़ता है; राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) विशिष्ट कंपनी-कानून और दिवाला विवादों को संभालता है।
- **गति और प्रक्रियात्मक लचीलापन:** न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनलाइज़ेशन) का उद्देश्य विषय वस्तु के अनुकूल प्रक्रियाओं का उपयोग करके आम अदालतों की तुलना में तेज़ और कम औपचारिक न्यायनिर्णयन प्रदान करना था।
 - उदाहरण - NCLT ने कई पूर्ववर्ती कंपनी-कानून मंचों को एक समेकित (consolidated) विशेषज्ञतापूर्ण तंत्र के साथ प्रतिस्थापित किया।

- **एक संस्थागत उद्देश्य के रूप में भीड़भाड़ कम करना (Decongestion):** न्यायाधिकरणों से आम अदालतों से विशेष मुकदमों के बोझ (caseloads) को हटाने की उम्मीद की गई थी, हालांकि बाद के अनुभव से पता चला कि अधिकार क्षेत्र को स्थानांतरित करने से कुल मुकदमेबाजी स्वतः कम नहीं होती है।
 - उदाहरण - सरकारी कर्मचारियों से जुड़े निर्दिष्ट सेवा विवादों का फैसला करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत CAT बनाया गया था।
- **वैकल्पिक-सिद्धांत चरण:** एस.पी. संपत कुमार बनाम भारत संघ (1987) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर न्यायाधिकरण को स्वीकार किया कि एक न्यायाधिकरण इसे हस्तांतरित अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय के लिए एक समान रूप से प्रभावी और सक्षम विकल्प प्रदान कर सकता है।
 - उदाहरण - CAT को केवल एक कार्यकारी शिकायत मंच के बजाय सेवा विवादों के लिए एक वैकल्पिक न्यायनिर्णयन तंत्र के रूप में देखा गया था।
- **संवैधानिक सक्षम ढांचा:** 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने भाग XIV-A को शामिल किया, जिसमें अनुच्छेद 323A और 323B शामिल हैं, जो विशेष न्यायाधिकरणों को संवैधानिक मान्यता देते हैं।
 - उदाहरण - अनुच्छेद 323A विशेष रूप से प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 323B कराधान और श्रम विवादों जैसे निर्दिष्ट विषयों के लिए न्यायाधिकरणों का प्रावधान करता है।

न्यायाधिकरण की विशेषज्ञता और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच के तनाव की क्या वजह है?

- **नीतिगत भूमिका:** न्यायाधिकरण अक्सर आर्थिक, तकनीकी और नीतिगत विचारों के साथ कानूनी न्यायनिर्णयन को जोड़ते हैं, जिससे उनकी भूमिका केवल कानूनी अधिकारों के निर्धारण से व्यापक हो जाती है।
 - उदाहरण - NCLT समाधान और मूल्य अधिकतमकरण पर विचार करते हुए दिवाला कानून लागू करता है; टीडीसैट (TDSAT) विनियमित क्षेत्र के भीतर दूरसंचार विवादों का फैसला करता है।
- **नियुक्ति पर नियंत्रण:** नियुक्तियों पर कार्यकारी प्रभाव न्यायनिर्णयन पर कार्यकारी प्रभाव का जोखिम पैदा करता है, विशेषकर वहां जहां न्यायाधिकरण सरकारी निर्णयों की समीक्षा करते हैं।
 - उदाहरण - भारत संघ बनाम आर. गांधी (2010) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए NCLT/NCLAT की नियुक्ति संरचना की जांच की थी।
- **कार्यकाल निर्भरता:** छोटा कार्यकाल या कार्यपालिका-नियंत्रित पुनर्नियुक्ति, न्यायाधिकरण के सदस्यों को उनकी निरंतरता का निर्णय करने वाले प्राधिकरण पर निर्भर बना सकती है।
 - उदाहरण - सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण की स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों के रूप में कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति को बार-बार माना है।
- **प्रशासनिक नियंत्रण:** वित्त, बुनियादी ढांचे और दिन-प्रतिदिन के प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण न्यायाधिकरणों की संस्थागत स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है, भले ही निर्णायक अधिकारियों (adjudicators) को पद की औपचारिक सुरक्षा प्राप्त हो।

- उदाहारण - मद्रास बार एसोसिएशन मामलों ने मूल मंत्रालयों पर निरंतर निर्भरता के बजाय न्यायाधिकरणों के लिए एक स्वतंत्र प्रशासनिक ढांचे का आह्वान किया।
- **नियामक संघर्ष:** नियामक न्यायाधिकरणों में, कार्यपालिका विनियामक (रेगुलेटर) और संस्थागत प्राधिकरण दोनों हो सकती है, जिससे यह जोखिम पैदा होता है कि न्यायाधिकरण विनियामक निर्णयों की समीक्षा करने में कम स्वतंत्र हो जाते हैं।
 - उदाहारण - टीडीसैट (TDSAT) एक ऐसे विनियामक ढांचे के भीतर दूरसंचार विवादों का फैसला करता है जिसे कार्यपालिका द्वारा काफी हद तक आकार दिया गया है और प्रशासित किया जाता है।

न्यायाधिकरणों के विस्तार ने त्वरित न्याय में आनुपातिक सुधार क्यों नहीं किया है?

- **क्षमता का अभाव:** विशेष क्षेत्राधिकार तब गति पैदा नहीं कर सकता जब न्यायाधिकरणों में पर्याप्त बेंच, सदस्यों, कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे की कमी हो।
- **रिक्ति-बैकलॉग चक्र:** नियुक्तियों में देरी से बेंच की संख्या (ताकत) कम हो जाती है, जिससे लंबित मामले बढ़ते हैं और नियुक्तियों तथा संस्थागत सुधार में और देरी होती है।
- **न्यायाधिकरणों का अदालतीकरण (Courtification):** प्रक्रियात्मक लचीलेपन के साथ संचालित होने के लिए बनाए गए मंच धीरे-धीरे अदालत जैसी दलीलें (pleadings), व्यापक मौखिक वकालत (advocacy) और स्थगन-गहन प्रथाओं को अपना सकते हैं, जिससे उनका मूल गति का लाभ कम (नष्ट) हो जाता है।
- **ज्ञानमीमांसीय घर्षण (Epistemic Friction):** न्यायिक समीक्षा विशेषज्ञ ज्ञान और सामान्यवादी संवैधानिक न्यायनिर्णयन के बीच एक संस्थागत इंटरफ़ेस (संपर्क) बनाती है: अत्यधिक सम्मान (deference) समीक्षा को अप्रभावी बना सकता है, जबकि तकनीकी निष्कर्षों का दखल देने वाला पुनर्मूल्यांकन न्यायाधिकरण के तुलनात्मक लाभ को कमजोर कर सकता है।
- **खंडित ढांचा:** अलग-अलग कानूनों, नियुक्ति संरचनाओं और प्रक्रियाओं के साथ कई न्यायाधिकरण क्षेत्राधिकार संबंधी जटिलता और असमान संस्थागत मानक बनाते हैं, जिससे विशेषज्ञता की अर्थव्यवस्थाएं (economies of specialisation) कमजोर हो जाती हैं।

आगे की राह

- **एक स्वतंत्र राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना:** सरकारी और नियामक विवादों का निर्णय करने वाले संस्थानों पर मंत्रालय-वार नियंत्रण को कम करते हुए नियुक्तियों, प्रशासन, बुनियादी ढांचे और निगरानी के लिए वास्तव में एक स्वायत्त निकाय बनाएं।
 - उदाहारण - सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2025 के मद्रास बार एसोसिएशन के फैसले में संघ को राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग स्थापित करने का निर्देश दिया।
- **नियुक्ति और कार्यकाल सुरक्षित करना:** पारदर्शी चयन, पर्याप्त कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति निर्भरता के खिलाफ सुरक्षा उपाय अपनाएं, जिससे निर्णायक अधिकारी (adjudicators) कार्यपालिका के प्रभाव के प्रति कम संवेदनशील हों।

- **अदालतीकरण को उलटना:** दलीलों को सरल बनाएं, स्थगन (adjournments) को नियंत्रित करें, डिजिटल प्रक्रियाओं का विस्तार करें और अनावश्यक मौखिक वकालत को कम करें ताकि न्यायाधिकरण पारंपरिक अदालतों की तुलना में वास्तविक प्रक्रियात्मक लाभ बनाए रखें।
- **विस्तार करने से पहले तर्कसंगत बनाना:** नए या मौजूदा न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्रों को एक स्पष्ट विशेषज्ञता परीक्षण, मुकदमों की सीमा (caseload threshold) और सामान्य अदालतों पर तुलनात्मक लाभ द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए।
- **न्यायिक-प्रभाव मूल्यांकन (JIA) करना:** अधिकार क्षेत्र को स्थानांतरित करने से पहले, केवल न्यायाधिकरण-स्तर के निपटान द्वारा सफलता मापने के बजाय, न्यायाधिकरण के कार्यभार, उच्च न्यायालय की समीक्षा, कर्मचारियों की आवश्यकताओं और कुल मुकदमेबाजी के समय पर संभावित प्रभावों का आकलन करें।

